UPGK010061692025

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

उपस्थित– राज कुमार सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP01889

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–190/ 2025

1. श्रीमती विमला देवी पत्नी विरेन्द्र यादव, उम्र लगभग 50 वर्ष
2. विरेन्द्र यादव पुत्र रामवृक्ष यादव

निवासीगण–ग्राम कोठा, थाना गगहा, जिला–गोरखपुर।

.................पुनरीक्षणार्थीगण

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ....वादी/विपक्षी प्रथम पक्ष

1. शिवाजी सिंह
2. शिव कुमार सिंह
3. राजकुमार सिंह

} पुत्रगण स्व0 रविन्द्र सिंह

4. श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी स्व0 रविन्द्र सिंह

निवासीगण–ग्राम कोठा, थाना गगहा, जिला–गोरखपुर।

...................विपक्षीगण/द्वितीय पक्ष

निर्णय

1. प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षणार्थीगण श्रीमती विमला देवी एवं विरेन्द्र यादव द्वारा विद्वान उपजिला मजिस्ट्रेट बांसगांव, गोरखपुर द्वारा वाद सं0–699/2024, कम्प्यूटरीकृत वाद सं०–T202405310100699 सरकार बनाम रविन्द्र सिंह आदि, अन्तर्गत धारा–145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के मामले में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 21.05.2025 के विरुद्ध संस्थित किया गया है, जिसके माध्यम से विद्वान उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि, "विवादित आराजी नं0–191मि0 रकबा 0.1755 हे0 जो चालानी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा–नजरी में ए0बी0सी0डी0 से प्रदर्शित किया गया है, को अन्तर्गत धारा–165(1) बी.एन.एस.एस. के तहत कुर्क किया जाता है। थानाध्यक्ष गगहा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी को कुर्क करके किसी निष्पक्ष सहनेदारा/रिसीवर नियुक्त कर दे तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखें।"

2. संक्षेप में इस आपराधिक पुनरीक्षण को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रकरण प्रभारी निरीक्षक थाना गगहा द्वारा प्रेषित चालानी रिपोर्ट दिनांक 26.10.2022 में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर धारा 145 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु वाद सं0–699/2024, कम्प्यूटरीकृत

वाद सं०–T202405310100699 सरकार बनाम रविन्द्र सिंह आदि के रूप में संस्थित हुआ जिस पर विद्वान उप जिला मजिस्ट्रेट बांसगांव, गोरखपुर द्वारा प्रभारी निरीक्षक गगहा द्वारा प्रस्तुत चालानी रिपोर्ट दिनांकित 26.10.2022 एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए दिनांक 21.05.2025 को यह आदेश पारित किया गया कि, "विवादित आराजी नं0–191मि0 रकबा 0.1755 हे0 जो चालानी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा–नजरी में ए0बी0सी0डी0 से प्रदर्शित किया गया है, को अन्तर्गत धारा–165(1) बी.एन.एस.एस. के तहत कुर्क किया जाता है। थानाध्यक्ष गगहा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी को कुर्क करके किसी निष्पक्ष सहनेदारा/रिसीवर नियुक्त कर दे तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखें।" उक्त आलोच्य आदेश से क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणार्थीगण द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत किया गया है।

3. पुनरीक्षणार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आदेश दिनांक 21.05.2025 विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा–145 व 146 द0प्र0सं0 में उल्लिखित प्राविधानों का सम्यक रूप से अनुसरण नहीं किया गया है एवं गलत आदेश पारित कर दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण प्रभारी निरीक्षक थाना गगहा द्वारा प्रेषित अस्पष्ट चालानी रिपोर्ट दिनांक 26.10.2022 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा–145 द0प्र0सं0 के अनुपालन में शिकायतकर्ता रविन्द्र सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह के विरुद्ध जारी हुआ जिसके बाद निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आवेदक रविन्द्र सिंह ने अपने आवेदन पत्र में यह गलत उल्लेख किया है कि आराजी सं0–191 मि० रकबा 0.1755हे0 का विवाद है और उक्त भूमि रविन्द्र की है। जिसमें से कुछ हिस्सा द्वितीय पक्ष के विमला देवी पत्नी विरेन्द्र द्वारा खरीदी गयी है, यह कथन पूर्णतया गलत है। सही स्थिति यह हैं कि निगरानीकर्ता विमला देवी ने दिनांक 24.06.2011 को उक्त भूखण्ड के सहखातेदार केदार सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्रगण रमेशर सिंह, केशव सिंह, पुत्र राम जी सिंह, संजय सिंह पुत्र हिरा सिंह, रवि प्रताप सिंह व विजय सिंह पुत्रगण भानू प्रताप सिंह, सत्यप्रकाश पुत्र उदर, नरेन्द्र पुत्र बदरी, निवासीगण ग्राम कोठा, तप्पा रामपुर कोठा, परगना भौवापार, तहसील बासगॉव, जिला गोरखपुर से आराजी सं0–191क रकबा 0.073हे0 191ग रकबा 0.101हे0 कुल रकबा 0.174हे० यानी 20 डि० एवं दूसरा बैनामा दिनांक 20.05.2022 को विक्रेता रणजीत सिंह पुत्र भुवनेश्वर सिंह ग्राम कोठा, पता उपरोक्त से क्रेता श्रीमती विमला देवी ने आराजी सं0–191 मि० रकबा 3.61डि० यानी कुल 24.11डि0 भूमि क्रय की और उस पर मकान बनाकर व पशुओ के लिये छप्पर डालकर परिवार के साथ रहती है। जबकि पुलिस रिपोर्ट व विपक्षी ने यह गलत उल्लेख किया है कि प्रार्थीगण अपने क्रयशुदा जमीन से अधिक कब्जा किये है। पक्षकारो के बीच में कभी भी प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर न कोई विवाद हुआ है और न ही शांति व्यवस्था भंग हुई है। पुलिस आख्या इस सम्बन्ध में गलत है। पुलिस ने जो धारा 107,116 दं०प्र०सं० की कार्यवाही की थी, वह पुलिस द्वारा न्यायालय को विवाद की सही स्थिति न स्पष्ट करने के कारण स्वतः समाप्त हो गयी। वादीगण द्वारा यह गलत उल्लिखित किया गया है कि निगरानीकर्ता के पक्ष में मात्र 3.6 डि0 का बैनामा लिया गया है। पुलिस आख्या दिनांक 26.10.2022 व संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर ABCD से उल्लेखित भूमि पर आराजी नं० व रकबा व उसमे बने हुए मकान का कोई उल्लेख नही है।

विवादित भूखण्ड पर पुलिस की यह रिपोर्ट गलत है कि निगरानीकर्तागण अपने क्रयशुदा जमीन पर कब्जा न लेकर पुलिस रिपोर्ट में दर्शित स्थल पर कब्जा लेना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के इस कथन पर विश्वास न करने का कोई स्पष्ट कारण उल्लेखित नहीं किया कि प्रार्थीगण अवैध कब्जा धारक नही है और बैनामाशुदा जमीन पर उनका पक्का मकान, सहन, घारी, छप्पर, शौचालय व दरख्तान आदि कायम करके काबिज दखिल है। पुलिस चालानी रिपोर्ट में आराजी सं0–191 मि0 के अन्य सहखातेदारो को न तो फरीक बनाया गया है और न तो कब्जा आदि के विषय मे ही कोई आख्या दी गयी है। आवेदक द्वारा अपने भूखण्ड की न तो कोई चौहद्दी बतायी गयी है, और न तो रकबा ही बताया गया है। पुलिस ने विपक्षी के प्रभाव मे होकर न्यायालय में गलत आख्या प्रेषित कर दी है। उपरोक्त आधारों पर विद्वान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21.05.2025 अपास्त कर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करने की याचना की गयी।

4. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने तथाकथित आराजी को कुर्क करने के सम्बन्ध में विद्वान नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। उपरोक्त आधारों पर निगरानी निरस्त करने की याचना की गयी।

5. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना एवं अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 21.05.2025 का सम्यक अवलोकन किया। पुनरीक्षण की पत्रावली के साथ विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली संलग्न है, उक्त का भी सम्यक अवलोकन किया।

6. पत्रावली के सम्यक अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं कि वाद चालानी धारा–145 द0प्र0सं0 में उ0नि0 राकेश सिंह द्वारा इस आशय की चालानी धारा 107/116 द0प्र0सं0 उभयपक्ष को शांति भंग करने से रोकने हेतु प्रस्तुत की गयी थी एवं उक्त रिपोर्ट में कथन किया गया है कि रवि सिंह द्वारा अपनी भूमि का कुछ हिस्सा विमला देवी पत्नी विरेन्द्र यादव द्वारा खरीदा गया था उसने खरीदे गये हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा किया है। साथ में नक्शा–नजरी भी संलग्न की गयी है जिसके आधार पर धारा–145 द0प्र0सं0 की कार्यवाही शुरू हुयी।

6.1– शिवाजी सिंह द्वारा अपनी लिखित बहस में कथन किया गया है कि विमला देवी फर्जी बैनामे के आधार पर कब्जा करना चाहती है। बैनामे के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई वाद प्रस्तुत करने का उल्लेख नहीं है। पंजीकृत बैनामा पत्रावली पर उपलब्ध कराया गया है। ऐसी परिस्थितियों में बिना सीमांकन किये केवल पुलिस आख्या के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विवादित संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार बिना सीमकांन कराये ही यह आदेश पारित किया गया है।

7. ऐसी परिस्थितियों में विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांकित 21.05.2025 को पारित करनें में तथ्य एवं विधि सम्बन्धी त्रुटि कारित किया है। अतएव प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

पुनरीक्षणार्थीगण श्रीमती विमला देवी आदि द्वारा प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। इस निर्णय एवं आदेश की एक प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली विद्वान अवर न्यायालय को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभय पक्ष को पुनः सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए ऐसी परिस्थितियों में पंजीकृत विक्रय–विलेख के अनुसार सीमांकन कराकर उक्त भूमि छोड़कर शेष भूमि के सम्बन्ध में पुनरीक्षण आदेश में दिये गये सम्प्रेक्षण के आलोक में विधिसम्मत आदेश पारित करें। तत्पश्चात् आपराधिक पुनरीक्षण की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः 16.04.2026 **(राज कुमार सिंह)**
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP01889

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 16.04.2026 **(राज कुमार सिंह)**
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP01889

सत्र न्यायाधीश,
गोर

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.04.16 16:05:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court